कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 17 अ–82/17–18 परसठानी 4046 बैतूल दिनांक 28– 03–2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	परसठानी	7.411	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	महिलावाड़ी लघु जलाशय

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	पिरथीलाल वल्द तुलसीराम, कमलाबाई, लीलाबाइ पिता तुलसीराम, आंनदी बाई बेवा तुलसीराम सा.देह	344/1	0.809	0.081
		344/4	0.065	0.065
			0.329	0.329
2	बन्टी ना.बा. वल्द पिरथीलाल वली मां खुद सा. देह	344/5		
				0.041
3	अमरसिंग वल्द छननूलाल पंवार सा. देह	498/6	1.901	0.202
4	अनिता पिता श्यामराव पंवार सा.देह	344/3	0.607	0.164
		513/2	0.809	
			0.279	0.021
5	श्यामू वल्द मंगरया सा.देह	520/2		
			0.081	0.081
6	सुनिता पति मनोहर सा.देह	522/2		
		522/3	0.114	0.114

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
7	चुन्नीलाल वल्द जगन महेरा सा. देह	523	0.639	0.364
8	चैत्या अमरसिंह जग्गू वल्द शिवपाल रूखमी बेवा शिवपाल दुपदी पिता शिवपाल सा. देह भूमि	524	0.465	0.365
9	दिनू वल्द जेठू सा. देह भूमि	528/1	0.100	0.052
10	माखन, सुरेश वल्द जेठू ज्योती बेवा जेठू टूकारी बेवा खुसया सो.देह भूमि	528/2	0.709	0.474
11	पैकी जौजे नान्हा सा. देह भूमि	534/2	4.695	1.821
12	देवकी पिता साहेबलाल, देवेन्द्र जितेन्द्र वल्द साहेबलाल, पंवार सा. देह टाटरू वल्द मौजी घुड़ी रोड़की वल्द मौजी, भागवत वल्द सावजी नखेली पिता सावजी, लोटन राजु, श्रीराम वल्द ढेपल्या, भैया, मेका, सुनिता, ललीता पिता ढेपल्या फुस्या बेवा ढेपल्या नक्षोली पिता सावजी, मनीराम वल्द टाटरू	535/1	1.821	1.821
13	बल्लू, श्यामलाल वल्द गोरेलाल सा.देह	536	0.587	0.587
14	टाटरू वल्द मौजी धुरी, रोड़की पिता मौजी सा. देह भूमि	537/1	0.267	0.267
15	भागवत वल्द सावजी नखोली पिता सावजी पंवार सा.देह	537/2	0.215	0.215
16	लोटन, राजू, श्रीराम वल्द ढेपल्या, मैय्या, मेका सुनिता, ललीता पिता ढेपल्या, फुस्या बेवा ढेपल्या वक्षोली पिता सावाजी भूमि स्वामी	537/3	0.08	0.080

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
17	मनीराम वल्द टाटरू पंवा सा. देह	537/4	0.267	0.267
योग				**7.411**

1— चूंकि महिलावाड़ी लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 17 अ—82/वर्ष 17—18/ परसठानी/4046 बैतूल दिनांक28—3—2018

प्रतिलिपिः—

1— उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7— तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9— सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत परसठानी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

2-4-18